क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

12/8/21

वकालत उभय।

उभय पक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वाद स्वत्व घोषणी आदेश के खसरा नं० 1099 व 1100 प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आई हुई है अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी की कृषि में बेचान करने पर आमदा है अतः आवश्यक निषेधाज्ञा की इस पद तक कार्यवाही किया जावे।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी के अपना हक हिस्से का बेचान कर दिया है अब प्रार्थी का उक्त मामले में किसी प्रकार का इलाज नहीं है अतः प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे। वकील अप्रार्थी ने विक्रय पत्र व हक रजिस्ट्री की फोटो प्रतियां पेश की।

बहस के नकों पर मनन किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने अपना हक हिस्से का बेचान कर दिया है अतः प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं होने से मात्र प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। पत्रावली मैनाल हुजूर होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:11:17 IST
Reason: SelfAttested

डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner